वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा

प्रबंध मंडल की 81 वीं बैठक दिनांक 17 अक्टूबर 2011 का कार्यवाही विवरण

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के प्रबंध मंडल की 81वीं बैठक दिनांक 17 अक्टूबर 2011 को अपरान्ह पूर्व 11.00 विश्वविद्यालय के जयपुर स्थित क्षेत्रीय केन्द्र पर आयोजित हुई, बैठक में निम्नलिखित सदस्यों द्वारा भाग लिया गया :–

1. प्रो0 नरेश दाधीच — अध्यक्ष
   कुलपति
   वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा।

2. श्री राजीव स्वरूप — सदस्य
   प्रमुख शासन सचिव
   उच्च शिक्षा विभाग राज0 सरकार जयपुर।

3. प्रो0 श्रीमती मालाश्री लाल — सदस्या
   विभागाध्यक्ष (अंग्रेजी)
   दिल्ली विश्वविद्यालय,दिल्ली।

4. प्रो0 एम0 के0 घड़ोलिया — सदस्य
   आचार्य (अर्थशास्त्र)
   वर्धमान महावीर खुला वि0वि0, कोटा।

5. डा0 आर0 सी0 मीणा — सदस्य
   निदेशक, क्षे0के0
   वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,अजमेर।

6. डा0 जुल्फिकार बेग मिर्जा — सचिव
   कुलसचिव
   वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा।

सर्वप्रथम माननीय कुलपति महोदय द्वारा सदस्यगणों का स्वागत करते हुए निर्वतमान सदस्य प्रो0 अतुल शर्मा द्वारा प्रबंध मंडल के सदस्य के रूप में किये गये सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ आवश्यक गणापूर्ति सुनिश्चित

किये जाने के बाद बैठक प्रारंभ करने की औपचारिक घोषणा करते हुए, कार्यसूची विवरण में उल्लेखित बिंदुओं पर बिंदुवार चर्चा कर निम्नानुसार निर्णय किये गयेः–

81/01 प्रबंध मंडल की 80 वीं बैठक दिनांक 05 सितंबर 2011 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

प्रबंध मंडल की 80 वीं बैठक दिनांक 05 सितंबर 2011 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन के प्रस्ताव पर विचार विमर्श करते हुए माननीय सदस्यगण द्वारा शिक्षकों के अवकाश नियमों को लागू करने सम्बन्धी प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए यह निर्णय किया गया कि विश्वविद्यालय की विशेष प्रकृति के बारे में अवगत करवाते हुए एक प्रस्ताव राज्य सरकार को स्वीकृति के लिए अविलंब भेजा जाए जिससे इस सम्बन्ध में बना हुआ गतिरोध एवं आडिट आक्षेप का निस्तारण संभव हो सके।

81/02 दिनांक 26.09.11 से 03.10.11 तक विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए आयोजित चयन समिति की बैठक की अनुशंसाओं पर निर्णय।

चयन समितियों की अनुशंसाओं पर निर्णय से पूर्व निदेशक(क्षे0केन्द्र), उपकुलसचिव , सहायक कुलसचिव एवं सचिव कुलपति सचिवालय के पदों की रिक्ती एवं आरक्षण सम्बन्धी प्रावधानों तथा पद भरने हेतु राज्य सरकार की स्वीकृतियों से सम्बन्धित स्थापना अनुभाग द्वारा तैयार टिप्पणी का अवलोकन किया गया एवं चयन समितियों के गठन के सम्बन्ध में निदेशक क्षे0के0 तथा सचिव कुलपति सचिवालय के पद हेतु विश्वविद्यालय नियमों तथा उप कुलसचिव एवं सहायक कुलसचिव के पदों पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए बनाये गये "राजस्थान युनिर्वसटीस टीचर्स (सलैक्शन फोर अपोइंटमेंट)1974 अधिनियम के प्रावधानों आदि के सम्बन्ध में जानकारी सदन के पटल पर प्रस्तुत किये जाने के बाद प्रबंध मंडल द्वारा इन पदों के लिए आयोजित साक्षात्कारों के लिए आयोजित चयन समिति की अनुशंसाओं पर विचार विमर्श किये जाने के दौरान प्रबंध मंडल ने निर्देश दिया कि दिसंबर 2009 में रिक्त हुए निदेशक के पद को भरने के लिए स्वीकृति राज्य सरकार से अलग से प्राप्त की जाए। एक पद जिस पर राज्य सरकार स्वीकृति दे चुकि है एवं तीन पद जो अप्रेल 2010 के बाद रिक्त हुए है उन पर राज्य सरकार के परिपत्र कमांक प.9(1) वित्त–1(1)/आ.व्यय/2010 दिनांक 30 मार्च 2011 के संदर्भ में प्रबंध मंडल ने स्वीकृति दी एवं उसके पश्चात चयन समिति की अनुशंसा के अनुसार निदेशक क्षेत्रीय केन्द्रों के कुल चार पदों पर नियुक्ति किये जाने का निर्णय किया गया।

तदुपउपरांत चयन समितियों अभिशंसाऐं अनुमोदित की गई तथा निम्नलिखित पदों पर उनके नाम के बाद अंकित अभ्यार्थियों की नियुक्ति देने का निर्णय किया गया ।

निदेशक क्षे0केन्द्रः–

1. अरविंद पारीक
2. जितेन्द्र कुमार शर्मा
3. अनिल कुमार जैन
4. रश्मि बोहरा

निम्नलिखित अभ्यार्थियों के नाम निदेशक (क्षेत्रीय केन्द्र) के पद हेतु आरक्षित सूची में रखे जाने का निर्णय किया गयाः—

1. ज्योत्सना मेहता

उपकुलसचिव पद हेतु किसी उम्मीदवार को उपयुक्त नहीं पाया जाने के कारण इस पद को पुनः विज्ञापित किये जाने का निर्णय किया गया। इसके अतिरिक्त उप कुलसचिव के पद पर योग्यताओं के सम्बन्ध में यह निर्देश दिया कि ''विश्वविद्यालय स्तर के स्थान'' पर विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालय से सम्बन्धित स्नात्तकोत्तर कालेज प्रति स्थापित किया जाए एवं पुनः विज्ञाप्ति किया जाए।

सहायक कुलसचिव पद पर चयन समिति की अनुशंसाओं का अवलोकन करते समय यह पाया गया कि एक उम्मीदवार के नाम एवं उसके कोड नंबर Mismatch है अतः प्रबंध मंडल ने निर्देश दिया कि यह प्रकरण पुनः चयन समिति के सम्मुख स्पष्टीकरण हेतु रखकर तदनुसार चयन समिति की सिफारिशों को पुनः प्रबंध मंडल में निर्णय हेतु रखा जाए।

सचिव, कुलपति :—

सचिव कुलपति पद हेतु सोहन लाल शर्मा के नाम का अनुमोदन किया गया।

निम्नलिखित अभ्यार्थी के नाम सचिव कुलपति के पद हेतु आरक्षित सूची में रखे जाने का निर्णय किया गयाः—

दिलीप कुमार शर्मा

तत्पश्चात् आसन के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करने के बाद बैठक समाप्ति की घोषणा की गई।

कुलसचिव
एवं सचिव(प्रबंध मंडल)